न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /11/2022

मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज विराजमान ग्रांम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर जरिये पुरुषोत्तम पुत्र रामस्वरुप जाति जाट निवासी ग्रांम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–विनोद कुमार । पुत्रगण मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रांम भदीरा तहसील
2–राजेन्द्र कुमार । नदबई जिला भरतपुर राज0

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय नामान्तकरण संख्या 1883 आदेश दिनांक 29.05.2018 तहसीलदार नदबई आराजी बाके ग्रांम भदीरा तहसील नदबई,

उपस्थित :–
1–श्री नीरपाल सिंह कुतंल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री हरिदत्त शर्मा,अभिभाषक, रेस्पो

निर्णय दिनांक 28.06.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 29–05–2018 तहसीलदार तहसीलदार, नदबई पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1883 आदेश दिनांक 29.05.2018 में नामान्तकरण दर्ज किया जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। तहसीलदार नदबई की उक्त आज्ञा से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई एवं रेस्पो की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1883 दिनांक 29.5.2018 हक त्याग के आधार पर स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण में दर्ज

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

विवादित आराजी मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मन जी महाराज विराजमान ग्रांम भदीरा तहसील नदबई की खातेदारी की आराजी है। सहायक कलक्टर नदबई द्वारा विवादित आराजी को निर्णय/डिक्री दिनांक 1.4.2000 से मंदिर की खातेदारी में घोषित कर दी गई है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 5.1.2018 तक बदस्तूर है जो आज भी है जिसके खिलाफ रेस्पो0 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में अपील प्रस्तुत की हुई है जिसमें दिनांक 2.5.2018 से ही यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया हुआ है जो आज भी प्रभावी है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है स्टे के होते हुये रेस्पो0 ने विवादित आराजी की रिलीज डीड एवं विवादित नामान्तकरण दर्ज करा कर स्वीकार करा लिया है जो विधि विरुद्ध है और काबिल खारिज के है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 5.5.2022 को रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी अपने नाम करा लेने की धमकी देने पर हुई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि मुताविक कानून रिलीज डीड हस्तान्तरणीय की परिधि मे नहीं आता है न ही रिलीज डीड के जरिये खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित किये जा सकते हैं न ही रिलीज कोई दस्तावेज है ना ही रिलीज डीड मोड आफ ट्रांसफर की परिधि में आता है। नामान्तकरण शून्य दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाष रेस्पो ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में सही तथ्यों को नहीं लिखा है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि सहायक कलेक्टर नदबई के निर्णय/डिक्री दिनांक 1.4.2000 के खिलाफ रेस्पो0 ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ पेश की गई, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपील संख्या 143/2001 अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय (ए.सी.एम नदबई) के निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु सहायक कलेक्टर नदबई को रिमान्ड किये जाने के आदेश दिये गये। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के खिलाफ एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलान्ट द्वारा पेश की गई थी, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 5.1.2018 में अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किये जाने के आदेश दिये गये हैं। योग्य अभिभाष अपीलान्ट ने बताया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 5.1.2018 के खिलाफ माननीय उच्च न्ययालय राज. जयपुर बैंच में रिट याचिका रेस्पो की ओर से पेश की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 2.5.2018

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

को राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 5.1.2018 को राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 5.1.2018 को स्टे करते हुये status quo बनाये रखने के आदेश दिये हैं। योग्य अभिभाषक का कहना है कि यथा स्थिति का मतलब है कि जो खातेदारी रेस्पो. के नाम चल रही है वह बदस्तूर रहेगी। विवादित दाखिल खारिज संख्या 1883 हकत्याग के आधार पर हुआ है, रेस्पो. की बहनों ने रेस्पो के नाम अपना हक त्याग कर दिया। उसके आधार पर मौजूदा दाखिला खारिज स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्यों कि यह तहत न्यायालय तहसीलदार नदबई के यहॉ पक्षकार नहीं थे। अपीलाधीन नामान्तकरण मन्दिर की जमीन पर नहीं खोला गया है, विवादित आराजी रेस्पो के पिता के नाम खातेदारी इन्दाज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पो0 के पिता के मरने के बाद विरासतन रेस्पो. के नाम विवादित आराजी पर नाम आये हैं। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है रेस्पो के पिता के मरने के बाद रेस्पो के साथ बहिनों का भी हक विवादित आराजी में होता है इस लिए बहिनों ने अपने हिस्से की आराजी को भाईयों रेस्पो. के हक रिलीज डीड कर दी गई। रिलीज डीड से अपीलान्ट एग्रीविड नहीं है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी मन्दिर की जगह है अभी भी पूर्ण रुप से सिद्ध नहीं हुआ है । नामान्तकरण रिलीजडीड से सम्बन्धित है ऐसा कोई स्टे उक्त नामान्तकरण के पूर्व किसी अदालत से नहीं था कि रिलीजडीड के आधार पर दाखिल खारिज न किया जावे। योग्य अभिभाषक यह भी तर्क है कि नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है और उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है, अपीलान्ट यदि अपना हक समझता है तो वह सक्षम न्यायालय में रेगूलर सूट पेश कर अपना हक तय करा सकता है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है, म्याद प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये वे गलत हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.बी.जे.2021 पेज 671, आर.बी.जे.(29) 2022 पेज 370, आर.आर.डी 1990 पेज 479 उद्धरत करते हुये अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावाली का अध्ययन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1883 दिनांक 29.5.2018 का अवलोकन किया, यह नामान्तकरण बहिनों द्वारा भाई के हक में की गई रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर रेस्पो. के हक में स्वीकार किया गया है, इससे यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल नहीं किया गया है। विचाराधीन अपील नामान्तकरण के खिलाफ पेश की गई है। नामान्तकरण

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यवाही Fiscal proceeding है इसमें किसी के हक हकूक तय नहीं किये जाते हैं। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह निर्विवाद है कि उभय पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के हक हकूकों को लेकर सक्षम न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारान के हक हकूक तय होने हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के बीच बहुवाद ना बड़े इस लिये हम यह उचित पाते हैं कि विचाराधीन प्रकरण कार्यवाही को पक्षकारान के सक्षम न्यायालय से हक हकुक तय होने तक स्थगित किया जावे। जैसा कि आर. बी.जे. 2011 पेज 559 में प्रतिपादित किया गया है –

"-----Rajasthan land Revenue Act. 1956 Section- When regular revenue suit is pending regardig disputed land in which rights of the parties will be decided then proceedings regarding attestation of mutation of disputed land should be kept pending till decision of the suit....."

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार पक्षकारान के बीच बहुवाद ना बड़े इस लिये विचाराधीन प्रकरण कार्यवाही को विवादित आराजी के सक्षम न्यायालय से हक हकूक तय होने तक स्थगित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर